



सर्वोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01

(पूर्व निर्माण खण्ड-28, आगरा)

सेक्टर-13, आफिस काम्प्लैक्स, विद्वितीय तल,
पं० दीनदयाल उपाध्यायपुरम, सिकन्दरा योजना, आगराE-Mail I.D. - cd28agr@upavp.com
eeavpcdagra1@gmail.com

पत्र सं० - 287 / यू.पी.एच.डी.बी./नि०ख०आगरा-01/ई०एन०जी०-24/28

दिनांक 07/02/2024

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से टू-बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाईन निविदाये आमन्त्रित की जाती है, जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खण्ड कार्यालय में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जायेंगी। कार्यों की मात्रायें बी०ओ०क्यू० के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	घरों/घनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी
1	2	4	5	6	9	8
1	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल नन्दापुरा में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य।	38.00 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.76	1500 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-IV
2	जनपद-आगरा के राजकीय इ०का० कछपुरा में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था एवं भौतिक/रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य।	17.60 + जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.35	1000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-IV
3	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल बटेश्वर में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था एवं मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य तथा राजकीय अभिनव विद्यालय विजौली में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था का निर्माण कार्य।	45.40+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.91	1500 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
4	जनपद-आगरा के राजकीय बा०इ०का० गढ़ीचन्द्रमन में मल्टीपरपज हॉल एवं पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	52.70+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.05	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
5	जनपद-आगरा के राजकीय बा०इ०का० नैनाजाट में भौतिक/रसायन विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	28.60+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.57	1500 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-IV
6	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल खुशालपुर में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था एवं मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य।	41.70+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.83	1500 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
7	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल गंगरौआ में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपज हॉल एवं पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	56.40+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.13	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
8	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल जयनगर में बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना एवं मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य।	55.60+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.11	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
9	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल वरना में बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना का निर्माण कार्य।	17.60+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.35	1000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-IV
10	जनपद-आगरा के पं०दी०उ०रा०मा०इ०का० विज्ञामई में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपज हॉल एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य।	56.40+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.13	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
11	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल बहरामपुर में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य।	38.00+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.76	1500 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-IV

12	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल दिगनेर में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपज हॉल एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य।	56.40+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.13	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
13	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल कौलारा कला में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपरपज हॉल एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य।	56.40+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.13	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
14	जनपद-आगरा के राजकीय हाईस्कूल मितावली में स्वच्छ पाईप पेयजल की व्यवस्था, बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय ब्लाक्स की स्थापना, मल्टीपरपज हॉल एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य।	74.00+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	1.48	3000 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-III
15	जनपद-आगरा के वीरारगना अवन्तीवाई रा०बा०ई०का० कलाल खेरिया में भौतिक/रसायन विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य।	28.60+ जी०एस०टी० अतिरिक्त	0.57	1500 + GST 18%	3 माह	श्रेणी-IV

निविदा से संबंधित विवरण	क्र०सं०-1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 व 15 हेतु तिथि व समय	क्र०सं०-4, 7, 8, 10, 12, 13, 14 हेतु तिथि व समय
Document Download Start Date	14/02/2024 (03:00 PM)	16/02/2024 (03:00 PM)
Document Download End Date	23/02/2024 (03:00 PM)	29/02/2024 (03:00 PM)
Bid Submission Start Date	14/02/2024 (03:00 PM)	16/02/2024 (03:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	23/02/2024 (03:00 PM)	29/02/2024 (03:00 PM)
Technical Bid Opening Date	24/02/2024 (12:30 PM)	01/03/2024 (12:30 PM)
Financial Bid Opening Date	तकनीकी बिड के परीक्षण उपरान्त तिथि निर्गत की जायेगी।	तकनीकी बिड के परीक्षण उपरान्त तिथि निर्गत की जायेगी।

नियम व शर्त :- ई-निविदा हेतु

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अलग-अलग निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। संबंधित आर०टी०जी०एस० के यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:-
Name of A/c. :- Executive Engineer, Construction Division Agra-01,
U.P. Avas Vikas Parishad, Sector-13, Sikandra Yojna, Agra
Name of Bank :- Bank of Baroda, Sikandra Yojna, Agra
A/C No. :- 30500100006777
IFSC No. :- BARB0SIKAGR
- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग से धनराशि तद्दिनांक तक प्राप्त नहीं है, धनराशि प्राप्त होने के बाद ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- उक्त कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में एवं संघन आबादी क्षेत्रों में सम्पादित कराये जाने हैं, बी०ओ०क्यू० में दरें समस्त प्रकार की कार्टेज सहित हैं, निविदादाता कार्यस्थल का स्वयं निरीक्षण कर ले। स्थल तक पहुंच मार्ग की स्थिति/कच्चा मार्ग/अतिरिक्त दूरी/अन्य कारण हेतु कोई धनराशि अलग से देय नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई संशोधन अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रेट/बैलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी जमा नहीं करती है, तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।
- निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- बी०ओ०क्यू० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ०प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती



- नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 इन्चायस प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा
9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार प्रभावी नवीनतम शासनादेश के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टाम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
 10. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-आगरा-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा के पक्ष में बनवाकर जमा करनी होगी।
 11. उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुभाग-12 के पत्र सं0-622/23-2012-2 आडिट/08 टी दिनांक 08/06/2012 तथा समविषयक आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय के पत्रांक-1282/एम-2/दिनांक 02/04/2013 के अन्तर्गत एल-1 निविदादाता द्वारा निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित दरों से 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 01 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारन्टी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर मुख्यालय के आदेश सं0 4196/दिनांक 14/09/2018 के अनुसार कार्यालय में एफ0डी0आर0 के रूप में, जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा के नाम बन्धक हो, जमा करानी होगी अन्यथा निविदा में संलग्न धरोहर धनराशि को जब्त करते हुये निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफार्मेंस/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
 12. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया के दौरान या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
 13. निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
 14. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
 15. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
 16. जमानत धनराशि कार्य समाप्ति अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगत की तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद तीन वर्ष तक होगी, जिसके लिये कार्य की लागत का 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
 17. भवनों की वारण्टी अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसके लिए निविदादाता को 'भवन की वारण्टी हेतु शर्त' पर हस्ताक्षर करने होंगे एवं रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा।
 18. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद/उ0प्र0 जल निगम की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
 19. जी0पी0डब्लू-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
 20. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
 21. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 22. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उर्पयुक्त रूप में जमा करनी होगी।
 23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 24. तकनीकी बिड के चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होगी। दस्तावेज यदि सही नहीं पाये जाते हैं, तब प्रथम न्यूनतम दरों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
 25. धनराशि शासन से प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा। शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा। शासन से धनराशि समय पर प्राप्त न होने के कारण समयवृद्धि की स्थिति में निविदा की दरों में कोई वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी एवं विलम्ब भुगतान हेतु कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा कार्य रुकने की स्थिति में चौकीदारी या अन्य मद में भुगतान नहीं किया जायेगा।
 26. रिकलड एवं नॉन रिकलड श्रमशक्ति (मानव संसाधन) का पंजीकरण कराने, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने स्तर से स्वयं की जायेगी, जिसके लिये परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 27. परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
 28. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रू0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/- का हस्ताक्षरित रेवेन्यू स्टाम्प निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 29. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
 30. ई-निविदा अपलोड करते समय सक्षम स्तर से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 31. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 32. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र एवं टैक्नीकल बिड में मांगे गये प्रमाण पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे, जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।
- अ. फर्म का पैन कार्ड।

- ब. फर्म का परिषद श्रेणी में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 स. फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 द. फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 य. वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र।
33. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन कार्यों में से एक कार्य के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर, संलग्न करना अनिवार्य है।
 अ. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
 ब. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
 स. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
34. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
35. परियोजना को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कराने का दायित्व अनुबन्धक का होगा। अनुबन्ध के अन्तिम देयक का भुगतान एवं किसी भी प्रकार की सिक्वोरिटी का भुगतान परियोजना के हस्तगत कराने के पश्चात् ही किया जायेगा।
36. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्यदिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें।
37. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
38. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
39. ई-टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे।
40. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा लगाई गई पेनाल्टी फर्म पर बाध्यता लागू होगी।
41. यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है, तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
42. कोविड-19 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर सोशल डिस्टैन्सिंग सेनेटाइजेशन/फिजिकल डिस्टैन्सिंग का पूर्णतया पालन करना तथा कार्यरत कार्मिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा इत्यादि से सम्बन्धित प्रदूषण का समुचित उपाय करना अनुबन्धक का उत्तरदायित्व होगा।

(रजनीश कुशवाहा)
 अधिशासी अभियन्ता

दिनांक 07/02/2024

पृ0सं0: - 287

/ ई0एन0जी0-24/28 /

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- निदेशक (म0), ग्लोबल कन्सल्टेशन एंड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त/अवध विहार/वृन्दावन/प्रोजेक्ट/अयोध्या/बागपत/बुन्देलखण्ड/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/रुहेलखण्ड, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
- अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़।
- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा-01, आगरा को इस आशय से प्रेषित है कि निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथियों से पूर्व राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता